प्रकरण संख्या 6/2021 नन्दलाल बनाम गोटुलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा ग्राम बनेडिया की आराजी नंबर 1066 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर अपना 26 वर्षो से निरन्तर कब्जा होना बताते हुए वाद प्रस्तुत कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गयी थी, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2021 से खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री चन्द्र प्रकाश पुरोहित उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी नंबर 1066 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिए वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार हो चुके हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकियात कायम की, किन्तु बिना तनकियों का विवेचन किये आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1991 पेज 1, आर.आर.टी. 2001 पेज 832, आर.बी.जे. 1994 पेज 50, आर.आर.टी. 2003 पेज 881, ए[illegible] 2001 सुप्रिम कोर्ट पेज 700, वार्ड पंचों का प्रमाण–पत्र [illegible] ए.आई.आर. 2019 सुप्रिम कोर्ट पेज 2827 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनके	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:55 IST
Reason: SelfAttested

ओर आकृष्ट किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् तनकियात कायम की है, किन्तु प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण बिना तनकियों का विवेचन किये वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय तक पक्षकारान द्वारा यथास्थिति कायम रखी जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:55 IST
Reason: SelfAttested